भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2768

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

साइबर सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन

2768. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में साइबर सुरक्षा नीति किस प्रकार कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) देश में डेटा संरक्षण कानून की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

सरकार ने देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा बढ़ाने, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और नीतिगत उपाय लागू किए हैं। कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

इंटरनेट कनेक्टिविटी: डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के तेजी से विस्तार में योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, देश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और पिछले दशक में भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है।

- **दूरसंचार, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच:** भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 133+ करोड़ हो गए।
- इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 109.27 करोड़ हो गई।
- **भारतनेट - गांवों को इंटरनेट से जोड़ना:** भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है, और इसका उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाएं, जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइनें, आदिप्रदान करने के लिए किया जा सकता है । जून 2026 तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भारतनेट का प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) 80,472 ग्राम पंचायतों पर चालू है।
- 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित मोबाइल योजना के तहत देश भर में 24,784 टावर चालू किए गए हैं।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के माध्यम से सेवा वितरण: किफायती डेटा, सहायक डिजिटल एक्सेस पॉइंट और इंटरऑपरेबल सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और शासन में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं। डेटा लागत 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2025-26 में लगभग 8-10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है।

- **आधार:** आधार ने सुरक्षित और तत्काल डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए एक विश्वसनीय बायोमेट्रिक पहचान मंच बनाया। 1.44+ बिलियन से अधिक आधार नंबर तैयार किए गए हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी):** आधार-लिंक्ड डीबीटी के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (56 मंत्रालयों की 318 योजनाओं) से नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। देश भर में डीबीटी के माध्यम से 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।
- **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई):**
 - यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।

 - भारत में होने वाले 85% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर होने वाले लगभग 50% रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान यूपीआई द्वारा संचालित होते हैं।

- **डिजिलॉकर**: इस प्लेटफॉर्म में 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,822 ऑनबोर्ड जारीकर्ताओं द्वारा 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।
- **न्यू-एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग):** यह प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत 48 सेवाएं शामिल हैं।
- **ई-संजीवनी आपके** स्मार्टफोन से सीधे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने देश भर में 48 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा की है।
- **सामान्य सेवा केंद्र** – सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मई 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.01 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 3.91 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं।

डिजिटल कौशल का निर्माण: भारत का डिजिटल परिवर्तन महज पहुंच से कहीं अधिक व्यापक है; यह लोगों और संस्थानों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समावेशी विकास को गति देने, डिजिटल शासन को मजबूत करने और देश भर के नागरिकों को सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक है, जिसमें देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है (तय 6 करोड़ के लक्ष्य से अधिक)।

- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम** भारत सरकार और नैसकॉम की एक सहयोगी पहल है। यह उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और उन्नत कौशल विकास प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक पोर्टल पर 34 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 23 लाख से अधिक उम्मीदवार विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित हो चुके हैं।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)** कंप्यूटर अवधारणाओं में जागरूकता (एसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) आदि जैसे डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में, एनआईईएलआईटी आईईसीटी क्षेत्रों में कौशल विकास गतिविधियों के संचालन के लिए अपने 56 केंद्र और 9000 से अधिक भागीदार संस्थानों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क संचालित करता है।

भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग: हमारा आईटी उद्योग निर्यात के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन में उत्तरोत्तर योगदान दे रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। नैसकॉम के अनुमान के अनुसार, आईटी और आईटीईएस उद्योग ने वित्त वर्ष 25 में 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न किया है। भारत के 2,100+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और एआई-संचालित भूमिकाओं में लगभग 26 लाख पेशेवरों को रोजगार देते हैं।

डिजिटल उद्यमिता: भारत में टियर- II और टियर- III शहरों में इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी डोमेन में उद्यमिता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहल इस प्रकार हैं:

- सरकार ने 73 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें से 65 केन्द्र टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं।
- 'जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस)' योजना में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की खोज, पोषण और विकास के लिए लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में 65 इन्क्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है

साइबर सुरक्षा उपाय: सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी)।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के उपबंधों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(iii) सीईआरटी-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र (एनसीसीसी) देश में साइबर स्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने के प्रयोजन से साइबरस्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(iv) साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर जगत तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में सहायता करता है तथा उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है। साथ ही, यह नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी सुझाव और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

(v) गृह मंत्रालय (एमएचए) ने समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) का सृजन किया है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के उपबंधों के अंतर्गत सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

(vii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। डीपफेक सहित साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों, सलाह आदि के रूप में जागरूकता सामग्री www.staysafeonline.in, www.infosecawareness.in और www.csk.gov.in जैसे पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

डेटा सुरक्षा: सरकार ने देश में डेटा संरक्षण के लिए ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से नियंत्रित करने वाला एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।
- अधिनियम के अंतर्गत, व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल वैध उद्देश्य के लिए और डेटा के मुख्य स्रोत की सहमति से या कुछ वैध उपयोगों के लिए ही किया जा सकता है। सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और असंदिग्ध होनी चाहिए, और इसके साथ या इससे पहले एक सूचना होनी चाहिए जिसमें एकत्रित किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा और उसके प्रसंस्करण के उद्देश्य का वर्णन हो।
- 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना सहित अठारह महीने की संक्रमण अवधि में इसके प्रावधानों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक समयरेखा प्रदान करते हैं।

अधिनियम के अधिनियमन और नियमों की अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में डेटा के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और नागरिक-केंद्रित ढांचा स्थापित किया है।

इंडियाएआई मिशन: भारत की एआई नीति प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य इससे जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार पैदा करना है।

भारत की एआई रणनीति भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है, जिसका वार्षिक राजस्व 300 अरब डॉलर और 60 लाख कर्मचारियों का मजबूत कार्यबल है। सरकार ने 7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जिसके लिए पांच वर्षों में कुल 10,371.92 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और इसे निम्नलिखित सात स्तंभों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा:

- **इंडियाएआई कंप्यूट पिलर:** भारत के तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप और अनुसंधान समुदायों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय, स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम स्थापित करना।
- **फाउंडेशन मॉडल:** स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम), मल्टीमॉडल मॉडल और डोमेन-विशिष्ट लघु भाषा मॉडल के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, संप्रभु एआई क्षमताओं को सुनिश्चित करना और भारत-विशिष्ट उपयोग के मामलों को संबोधित करना।
- **इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (आईएडीआई):** महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में सक्षम प्रभावशाली एआई समाधानों के विकास, स्केलिंग और तैनाती का समर्थन करना।
- **इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स**: टियर 2 और 3 शहरों में विशेष डेटा और एआई लैब स्थापित करके, छात्र फेलोशिप प्रदान करके और एआई शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम विकसित करके एक मजबूत एआई प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण करना।
- **एआईकोष (इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म):** खुले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के संसाधनों को एकीकृत करते हुए, उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, मॉडल और उपकरणों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने वाला एक एकीकृत मंच बनाना।
- **सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:** भारत के अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के अनुरूप स्वदेशी शासन ढांचे और मूल्यांकन उपकरणों के माध्यम से जिम्मेदार एआई विकास को सक्षम करना।
- **इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग:** स्टार्टअप जीवनचक्र के दौरान जोखिम पूंजी और सहायता प्रदान करना, प्रारंभिक प्रोटोटाइप चरण से व्यावसायीकरण तक फंडिंग अंतराल को पाटना।
